

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 157 : प्रतिभू से वसूली

जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी पर शोध्य रकम के लिए प्रतिभू बना है, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जैसे कि वह व्यतिक्रमी हो।
